

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 26/2026

GCMS No. : 2026/60

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार सुरेशचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्री खीमाराम पुत्र मुलाराम, जाति मेघवाल, निवाी पो. भवरानी तहसील आहोर, जिला जालौर, मैसर्स वेदान्ता वेवज रेस्टोरेण्ट खसरा नम्बर 769/3 कृषि मण्डी जोधपुर रोड पाली रेस्टोरेण्ट मैनेजर 2. पुनित मेवाडा मैसर्स वेदान्ता वेवज रेस्टोरेण्ट खसरा नम्बर 769/3 कृषि मण्डी जोधपुर रोड पाली रेस्टोरेण्ट मालिक

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”

उपस्थित :


1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक: 23.03.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चिस्वा/गुप-3/2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

एफ./खा.सु एवं औ.नि./संस्था/2025/101/दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया है एवं पाली जिले में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 01.05.2025 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वेदान्ता वेवज रेस्टोरेण्ट खसरा नम्बर 769/3 कृषि मण्डी जोधपुर रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका परिचय पुछने पर उसने अपना नाम खीमाराम पुत्र मुलाराम बताया एवं स्वयं को फर्म का मैनेजर होना बताया। रेस्टोरेण्ट के निरीक्षण के दौरान वहां पर रखे फ्रिज में लगभग 02-03 किलोग्राम दही रखा हुआ था। जिसका उपयोग खीमाराम आम जनता के लिए व्यजन बनाने में उपयोग ले रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दही का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीपसिंह यादव कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की दही का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में दही का नमुना वास्ते जांच हेतु 01 किलोग्राम दही क्रय कर उसकी कीमत 160/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा दही को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2518 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया दही का नमुना संख्या आर-2518 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/755/एक्ट/2025/755 दिनांक 22.05.2025 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः



*[Handwritten Signature]*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

करवाना चाहते हैं तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) दही का उपयोग आमजन के लिए व्यजन बनाने में किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया कि हमारी रेस्टोरेण्ट में दही का उपयोग व्यजन बनाने एवं अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन में किया जाता है जो कि खाद्य सुरक्षा मानको को ध्यान में रख कर किया जाता है। उक्त खाद्य पदार्थ दही बनाने में भी नियमों एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है एवं भविष्य में भी पूर्ण सावधानी बरती जायेगी। अतः आप मुझ प्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रकरण ड्रॉप कराने का श्रम करावें।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.05.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स वेदान्ता वेवज रेस्टोरेण्ट खसरा नम्बर 769/3 कृषि मण्डी जोधपुर रोड पाली से लिया गया दही का नमूना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2518 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये दही का नमूना कोड संख्या आर-2518 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया दही का नमूना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त दही (अवमानक) पाया गया। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के रेस्टोरेण्ट में दही का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर का दही का उपयोग कर आमजन के लिए व्यजन बनाने में किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) दही का उपयोग कर आमजन के लिए व्यजन बनाने में किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 11,000/-रूपये अक्षरे ग्यारह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से 15 दिवस में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ बजरंग सिंह)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त